भाग–2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रपोजल संख्या–FP/UP/Road/144793/2021

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद मेरठ से प्रयागराज (Ch-7+900 से 601+847 km.) तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में उन्नाव जनपद के अन्तर्गत 61.3621 हे0 आरक्षित तथा 6.4218 हे0 संरक्षित कुल 67.7839 हे0 वन भूमि का का गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 106144 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(क)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख)	जिला	उन्नाव
(ग)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव
(घ)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	आरक्षित 61.3621 हे0 तथा संरक्षित 6.4218 हे0 कुल 67.7839
(ड)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित तथा आरक्षित वन भूमि
(च)	हरियाली का घनत्व	0.01
(छ)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षो की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. एफ.आर.एल.4 मी भी संलग्न किये जायें।	106144 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
(ज)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नगण्य
(झ)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	0 किमी0
(त)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हॉथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाये)	नहीं हैं।
(थ)	क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्भल/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पायी जाती है यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो मॉगे गये विकल्पो के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहे है।	नही
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	
(क)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अबक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डो की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार आदि का विवरण	पुरथ्यावां, शंकरपुर, कैथोली, गोडवा, रूपपुर, ताल्ही, कटरी मझराभिखना, रूपऊ तथा मखदूमपुर वन ब्लाक। भूखण्डों की संख्या–09 तथा आकार–आयताकार तथा वर्गाकार।
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।

LT

(ग)	रोपित की जाने वाली प्रजातियो सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत, ढॉचा आदि	शीशम, अर्जुन, पीपल, नीम, कंजी, बरगद तथा पाकड़ आदि।
(घ)	1. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	6,33,22,100.00
	2. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्व वर्तमान मूल्य	रूपया 4,24,32,722.00
(ड)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
11	जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युत कालम–7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यो को दर्शाते हुये (संलग्न करे)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	455800.00हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	16459.468 हे0
(iii)	मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	37 मामले, 287.019 हे0
13	1980 से निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य	
(i)	दण्ड के रूप में	95.0 हे0
(ii)	वन भूमि पर	216.16 हे0 तथा 62803 पौध
(iii)	गैर वन भूमि	13.62
14	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(i)	दण्ड के रूप में वनीकरण	89.00 हे0
(ii)	वन भूमि पर	155.58 हे0 तथा 31304 पौध
(iii)	गैर वन भूमि पर वनीकरण	4.81
15	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित में परियोजना को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हसनगंज–रेंज
उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव

(दीपक कुमार श्रीवास्तव)
उपप्रभागीय वनाधिकारी,
बांरगमऊ

(आर0एन0 चौधरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
उन्नाव

(ईशा तिवारी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बांगरमऊ रेंज
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
उन्नाव